रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2016/कार्तिक 5, 1938
No. 748] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2016/KARTIKA 5, 1938

Urdu Guide

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1014(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

इन प्रारुप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), (ई-मेल- js.tpt@gov.in) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है ।
 (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है),

1(ङ) नियम 2 में, खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(धक) "सुरक्षा पट्टा स्मरण" अभिप्रेत है, जो चालक और सहयात्री की चेतावनी के लिए प्रणाली समर्पित है जब सुरक्षा पट्टा का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(धख) "गति चेतावनी प्रणाली" ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो चालक वैकल्पिक और धात्विक चेतावनी चलक है जब इसके सीमित पर अधिक गति के साथ मोटर यान की परत है ;

(धग) "हस्त चालित अध्यारोही" से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिभोगी को द्वार खोलने वाले लीवर का प्रयोग करते हुए भीतर से द्वार को खोल सकता है या वह बंद करने वाली प्रणाली के लिए विद्युत शक्ति सहायता से या उसके ब्रेक नियंत्रित कर सकता है किंतु यह बालक सुरक्षा ताला बंद वाली प्रणाली से सज्जित द्वार को लागू नहीं होगा ;

(धघ) "वाहन उत्क्रमण गियर सेंसर" वाहन स्थान से सेंसर अभिप्रेत है जो वाहन स्थान करते समय कठिनाइयों को चालक चेतावनी के लिए अभिकल्पित किया गया है ;

(धङ) "एयर बैग प्रणाली" अभिप्रेत है जो सेंसरों, नैदानिको और एयर बैग मापांक प्राथमिक रूप से मिल कर बना है जो परिचालन चक्र या खिड़की पट्टी लगाने से मोटर यान के सम्मुख चालक और यात्री रोकने के लिए मोटर वाहन के मामले में विध्वंस करता है जो अंत:सरित है ;

(धच) "एयर बैक मापांक समुच्चय" जो कमतर फुलाए समुच्चय और बैग कम से कम समुच्चय मिल कर अभिप्रेत है, जिसके साथ आच्छादित है, यदि लागू हों ;

(ii) भारत के राजपत्र, भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा उक्त नियम 125 के उपनियम (7) में इस प्रकार अंत:स्थापित उपनियम (8) के रूप में पुन:संख्याकित और उपनियम (8) के पश्चात् इस प्रकार संख्याकित निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(9) प्रवर्ग एम 1 के वाहन 1 अप्रैल, 2018 को या पश्चात् विनिर्मित फिट किया जाएगा :

(i) अति गतियों के मामले में चेतावनी चालक के लिए गति चेतावनी प्रणाली ;

(ii) सुरक्षा पट्टा स्मरण ;

(iii) केंद्रीयता ताला प्रणाली के लिए हस्तचालित अध्यारोही ;

(iv) वाहन उत्क्रमण गियर सेंसर :

परंतु गति चेतावनी में चालक को सावधान करेगा यदि वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटें से अधिक है और फिर लगातार ध्वनि है यदि वाहन गति 100 किलोमीटर प्रति घंटें से अधिक हो :

परंतु इस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रणाली, यथास्थिति, विनिर्माता या उसके व्यौहारी प्राधिकृत फिट किया जाएगा, इन नियमों के उपबंधित मानकों के अनुसार होंगे ।

(10) मोटर वाहन प्रवर्ग एम 1 के नए मॉडल, 1 अक्तूबर, 2017 को विनिर्मित और उसके पश्चात् और उक्त मोटर वाहन प्रवर्ग 1 अक्तूबर, 2018 को या इसके पश्चात् चालक और परिचालन चक्र खिड़की चट्टा लगाने से सम्मुख यात्री रोकने के लिए आशय रूप में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-098 की अपेक्षाओं को अनुपालन के साथ सम्मुख एयर बैग प्रणाली समुचित अभिकल्पित के साथ सुसज्जित किया जाएगा ।

(11) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रवर्ग एम 2, प्रवर्ग एम 3 और प्रवर्ग एन के वाहन निम्नलिखित प्रणालियां उत्क्रमण गियर सेंसर या सुरक्षा वाहन वाहन-स्थान सहायता से और वाहन के युक्ति चालक सुरक्षा उत्क्रमण के साथ सुसज्जित किया जाएगा ।"

[फा. सं. आरटी-11028/16/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. (अ), तारीख द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2016

G.S.R. 1014(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be forwarded before the aforesaid period of thirty days to the Joint Secretary (Transport), (Email: js.tpt@gov.in), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2016**.**

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, hereinafter referred to as the said rules,

(I) in rule 2, after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(sa) "safety-belt reminder" means a system dedicated to alert the driver and co-passenger when the safety-belt is not used;

(sb) "speed alert system" means a system which gives the driver optical and acoustic warning, when motor vehicle ply with excess speed beyond its limits;

(sc) "manual over-ride" means the system that enables the motor vehicle occupant to open the door from inside using door release lever or control with or without electric power assistance to door locking system but shall not be applicable to the door equipped with child safety lock system and the child safety lock system;

(sd) "vehicle reverse gear sensor" means parking sensors that are designed to alert the driver to obstacles while parking;

(se) "airbag system" means inflatable restraint system consisting primarily of a sensor or sensors, diagnostics, and air bag module which inflates a bag in case of motor vehicle crashes to prevent the front driver and passenger of the motor vehicle from striking the steering wheel or a window;

(sf) "air bag module assembly" means the assembly consisting of at least inflator assembly and a bag with a cover if applicable;

(II) in rule 125, of the said rules, sub-rule (7) as so inserted vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 291(E), dated the 24th April, 2014 shall be re-numbered as sub-rule (8) thereof and after sub-rule (8) as so numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(9) Vehicles of category M1, manufactured on and after the 1st day of April, 2018, shall be fitted with following:

(i) speed alert system to alert driver in case of over speeds;

(ii) seat belt reminder;

(iii)manual override for central locking system;

(iv) vehicle reverse gear sensor:

Provided that the speed alert shall warn the driver if the vehicle speed exceeds 80 kilometres per hour and then a continuous audio alert if the vehicle speed exceeds 100 kilometres per hour:

Provided that the system specified under this sub-rule shall be fitted by the manufacturer or their authorised dealer, as the case may be, in accordance with the standards provided under these rules.

(10) New models of M1 category motor vehicles, manufactured on and after the 1st October, 2017 and existing models of the said category of motor vehicles, manufactured on and after the 1st October, 2018 shall be equipped with appropriately designed frontal airbags system complying with the performance requirements of AIS-098 as amended from time to time intended to prevent the driver and front passenger from striking the steering wheel or a window.

(11) vehicles of Category M2, Category M3 and Category N, manufactured on and after the 01st April 2018, shall be fitted with the following systems vehicle reverse gear sensor assisting safe parking and safe reverse manoeuvres of the vehicle.".

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

IndiaCode

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number _____ dated _____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.29 11:00:30 +05'30'